षोडश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-25.03.2017 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री निरंजन कुमार मेहता, स०वि०स० श्री रामसेवक सिंह, स०वि०स० श्री सुनील कुमार, स०वि०स० (क्षेत्र संख्या-28) श्री रवि ज्योति कुमार, स०वि०स० डॉ० राजेश कुमार, स०वि०स० (क्षेत्र संख्या-15) श्री अभय कुमार सिन्हा, स०वि०स०	"राज्य के सभी विश्वविद्यालय यथा मगध विश्वविद्यालय, बोधगया; तिलकामांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर; भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा; वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा; ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा; जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा; बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर आदि विश्वविद्यालयों के लगभग सभी विषयों में व्याख्याता का पद वर्षों से रिक्त है । व्याख्याता का पद लम्बे समय से रिक्त रहने से अध्यापन कार्य में काफी कठिनाई होती है जिससे छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है । विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पद के साथ-साथ गैर-शैक्षणिक पद भी वर्षों से रिक्त है । मधेपुरा के अधीन अंगीभूत हरिहर साहा महाविद्यालय, उदाकिशुनगंज (मधेपुरा) में हिन्दी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अंग्रेजी, तर्क शास्त्र, उर्दू एवं अर्थ शास्त्र के व्याख्याता तथा प्रधान सहायक, लेखापाल, लिपिक, आदेशपाल एवं टंकक के पद रिक्त हैं । अतएव राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में रिक्त व्याख्याता एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारी के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	शिक्षा

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री रामनारायण मंडल, स०वि०स० श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, स०वि०स० श्री राणा रणधीर, स०वि०स० श्री नितिन नवीन, स०वि०स० श्री प्रमोद कुमार, स०वि०स० श्रीमती गायत्री देवी, स०वि०स० श्रीमती भागीरथी देवी, स०वि०स० श्री कृष्ण कुमार ऋषि, स०वि०स० श्री अवधेश सिंह, स०वि०स०	"पूरे राज्य में गरीबों के इलाज के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत अधिकृत चिकित्सालयों में से 98 प्रतिशत में इलाज नहीं हो रहा है, जिससे गरीब मरीजों को भारी कठिनाई हो रही है । इलाज नहीं होने का कारण यह बताया जा रहा है कि सरकार, अधिकृत चिकित्सालयों को इलाज किये गये पैसों का भुगतान नहीं कर रही है । अतएव अधिकृत चिकित्सालयों, जिनका कार्यकलाप ठीक है उन्हें अभी तक किये गये इलाज के पैसों के भुगतान के साथ-साथ गरीब मरीजों का इलाज शीघ्र प्रारम्भ कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	स्वास्थ्य

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-18/17- 2191-2203 /वि०स०, पटना, दिनांक-24 मार्च, 2017 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्य मंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24.3.17
(अनिल कुमार जायसवाल)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-18/17- 2191-2203 /वि०स०, पटना, दिनांक-24 मार्च, 2017 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

24.3.17
(अनिल कुमार जायसवाल)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

24/3/17